

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 264] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 17, 1979/श्रावण 26, 1901
No. 264] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 17, 1979/SRAVANA 26, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

विस्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1979

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 494 (अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम
8(1) के अनुसरण में भारत सरकार के विस्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना
सं. 234/79-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 20 जुलाई, 1979 में निम्नीलिखित संशोधन

करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में पैरा 2, में 31 जुलाई, 1979 अंकों और शब्दों के स्थान पर 31 मार्च, 1980 अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[सं. 249/79-क. उ./फा. सं. 10/7/79-क. उ. श. 1]

सी. एन. बालकृष्णन् नायर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 1979

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 494(E).—In exercise of the powers conferred under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 234/79-CE dated the 20th July, 1979, namely :—

In the said notification, in paragraph 2, for the figures, letters and words "31st day of July, 1979" the figures, letters and words "31st day of March, 1980" shall be substituted.

[No. 249/79-CE/F. No. 10/7/79-CX. I]

C. N. BALAKRISHNAN NAIR, Under Secy.